

COVID-19 संबंधित अंतिम संस्कार खर्च

COVID-19 से संबंधित अंतिम संस्कार के खर्चों के भुगतान के लिए मदद Federal Emergency Management Agency (संघीय आपातकाल प्रबंधन एजेंसी, FEMA) के माध्यम से उपलब्ध है।

कौन पात्र है?

अंतिम संस्कार सहायता के लिए पात्र होने के लिए:

- मृत्यु संयुक्त राज्य अमेरिका में होनी चाहिए, जिसमें अमेरिकी क्षेत्र और Columbia जिला शामिल हैं।
- मृत्यु प्रमाण पत्र में यह कहा जाना चाहिए कि मृत्यु COVID-19 से या संबंधित हुई थी।
- सहायता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को 20 जनवरी, 2020 के बाद अंतिम संस्कार के खर्च के लिए जिम्मेदार अमेरिकी नागरिक, गैर-नागरिक, या योग्य विदेशी होना चाहिए।
- मृत व्यक्ति के लिए अमेरिकी नागरिक, गैर-नागरिक, या योग्य विदेशी होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

यह सहायता राशि किसके भुगतान में मदद कर सकती है?

अंतिम संस्कार सहायता 9,000 डॉलर प्रति अंतिम संस्कार के लिए सेवा, इंटरनमेंट, अंतिम संस्कार, एक कास्केट या कलश, दफनाने की जगह, मार्कर या हेडस्टोन, आदि जैसी चीजों के लिए भुगतान कर सकती है। अधिक जानकारी FEMA की वेबसाइट

www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance/faq पर उपलब्ध है।

राशि कैसे प्राप्त होती है?

यदि आप अंतिम संस्कार सहायता के लिए पात्र हैं, आप या तो मेल द्वारा एक चेक प्राप्त करेंगे या प्रत्यक्ष धन डिपॉजिट पाएंगे, जो आपके द्वारा अप्लाई करते वक्त चुने गए विकल्प पर निर्भर होगा।

अंतिम संस्कार सहायता, कवर किए गए खर्चों के उदाहरण सहित COVID-19 Funeral Assistance Program (COVID-19 अंतिम संस्कार सहायता कार्यक्रम) के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए, FEMA Funeral Assistance (अंतिम संस्कार सहायता) FAQ पृष्ठ पर जाएँ:

www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance/faq.

फ्रॉड की चेतावनी

FEMA को अंतिम संस्कार सहायता के लिए पंजीकरण कराने की पेशकश करने वाले लोगों तक स्कैमर पहुंचने की रिपोर्ट मिली है। FEMA ने ऐसी कोई सूचना नहीं भेजी है और वे सहायता के लिए पंजीकरण करने से पहले लोगों से संपर्क नहीं करते हैं।



अप्लाइ कैसे करें:

चरण 1: तय करें कि आवेदक और सह-आवेदक कौन होगा।

परिवारों को यह तय करके शुरू करना चाहिए कि आवेदक और कोई सह-आवेदक कौन होगा। एक आवेदन पर केवल दो लोगों के नाम हो सकते हैं।

चरण 2: सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करें।

आवेदक के पास COVID-19 अंतिम संस्कार सहायता टोल-फ्री लाइन पर कॉल करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज का होना आवश्यक है।

- **एक प्रमाणित मृत्यु प्रमाणपत्र*** जो कहता है कि व्यक्ति की मृत्यु COVID-19 से या संबंधित हुई थी। इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र शामिल हैं, जो कहते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु "शायद इस कारण हो सकती है" या "संभवतः COVID-19 या" "COVID-19 जैसे लक्षण" या इसी तरह के वाक्यांशों के परिणामस्वरूप COVID-19 की उच्च संभावना का सूचित है।
- **अंतिम संस्कार व्यय दस्तावेज** (जैसे, प्राप्त रसीदें, अंतिम संस्कार घर अनुबंध, आदि) जिसमें आवेदक का नाम, अंतिम संस्कार के खर्चों की राशि और अंतिम संस्कार के खर्च शामिल हैं।
- **प्राप्त अन्य निधियों के प्रमाण**, यदि परिवार को किसी अन्य स्रोत (जैसे Wisconsin Funeral Cemetery Aids Program (प्रयूनरल सेमेट्री एड्स प्रोग्राम) फंड, सैन्य सेवा-संबंधी प्रतिपूर्ति आदि से सहायता प्राप्त हुई है।)

चरण 3: COVID-19 अंतिम संस्कार सहायता टोल-फ्री लाइन पर कॉल करें।

एक FEMA प्रतिनिधि आपको एक आवेदन पूरा करने में मदद करेगा।

- आवेदन करते वक्त विभिन्न भाषाएं उपलब्ध हैं।
- ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

FEMA में दस्तावेज जमा करना

- **प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र**
 - मेल में मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा।
 - Wisconsin राज्य में मृत्यु प्रमाण पत्र (स्कैन, अपलोड और फैक्स सहित) की प्रतियों की अनुमति नहीं है। चूंकि उन्हें नकल करना कानूनी नहीं है, इसलिए आवेदकों को मूल रूप से प्रमाणित मृत्यु प्रमाणपत्र मेल करना होगा।
 - भेजे गए दस्तावेज वापस नहीं किए जाएंगे।
- अंतिम संस्कार के खर्चों और प्राप्त अन्य निधियों का प्रमाण: परिवार, आवेदक के [DisasterAssistance.gov](https://www.DisasterAssistance.gov) खाता में अपलोड, या मेल के द्वारा फैक्स द्वारा प्राप्तियों और FEMA के लिए अन्य अंतिम संस्कार सहायता प्रमाण कर सकते।

COVID-19 अंतिम संस्कार सहायता लाइन
आवेदन 12 अप्रैल, 2020 से शुरू होंगे
844-684-6333 | TTY: 800-462-7585

कामकाज का समय

सोमवार - शुक्रवार
सुबह 8 बजे - शाम 8 बजे केंद्रीय समय

*यह Wisconsin राज्य में एक मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (नकल) बनाने के कानून के खिलाफ है। आवेदकों को डीड्स ऑफिस के रजिस्टर से प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और इसे FEMA को शारीरिक रूप से मेल करना होगा। डाक से भेजे जाने वाले दस्तावेज को वापस नहीं किया जाएगा। आवेदकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे पहले प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र का अनुरोध करने पर अतिरिक्त प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र का आदेश दें। पहले प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र की लागत \$20 है, और यह प्रत्येक अतिरिक्त प्रमाणित मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए \$3 है। **ये लागत अंतिम संस्कार सहायता कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं।** अपने स्थानीय काउंटी रजिस्टर ऑफ़ डीड्स कार्यालय से संपर्क करने में मदद के लिए, www.wrdaonline.org पर जाएं।